

मध्य प्रदेश शासन
आयुष-विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// आदेश //


भोपाल दिनांक 26/11/2019

क्रमांक /3773/4207/2019/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 26/11/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर इनकी अनुशंसा "परिभ्रमण" में रखी गई है। समुचित प्रस्ताव संचालनालय, आयुष से प्राप्त होंगे तत्समय निम्नलिखित आयुष चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान हेतु समिति विचार करेंगी :-

क्र.	नाम/पदनाम/वर्तमान वेतनमान	समयमान वेतनमान प्रथम/द्वितीय/तृतीय विचार हेतु पात्रता दिनांक/वेतनमान
1	2	3
1	डॉ. सैयद महबूब अली, यूनानी चिकित्स अधिकारी जिला भोपाल, (सेवानिवृत्त 31.01.2013)	(द्वितीय कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+7600)
2	डॉ. ए.के. मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला रायसेन (सेवानिवृत्त 07.09.2007)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)
3	डॉ. के.एम. नेमा, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी जिला राजगढ़ (निधन 03.06.2015)	(प्रथम कार्योत्तर) 01.04.2006 (15600-39100+6600)
		(द्वितीय नवीन) 15.03.2011 (15600-39100+7600)

2/- उपरोक्त सभी सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समयमान वेतनमान की पात्रता वर्ष से विगत पांच वर्षों एव पश्चात्तवर्ती वर्षों के अनुपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन कब-कब, किस अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। इसकी जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त की जाकर गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही संचालनालय आयुष द्वारा की जाएगी। संचालनालय को गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध हो जाने पर समयमान हेतु बैठक के आयोजन के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराए जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कलावती उईके) 26-11-19

अवर सचिव


म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 3774/4207/2019/1/59

भोपाल, दिनांक 26/11/2019

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।
 - 2- आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 3- उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
 - 4- संभागीय आयुष अधिकारी,
 - 5- जिला आयुष अधिकारी
 - 6- संबंधित डॉ.
 - 7- आदेश फाइल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव 26/11/19

म. प्र. शासन, आयुष विभाग